मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- दिहाड़ीदार मज़दूरों के हक डकारती सरकार, पंजीकृत करने के लिए दलाली खाते हैं श्रम विभाग के अफ़सर 3
- डूबने वाला है मोदी सरकार का अडानी को दिया 6200 करोड़ का लोन 4
- बच्चों की नृशंस हत्या पर इतना सन्नाटा क्यों, रहनुमा! 5
- प्रसव हेतु तिगांव से आई महिला बीके अस्पताल में रिश्वत देने के बावजूद बनी घोर लापरवाही का शिकार 8

वर्ष 31 अंक -10 फ़रीदाबाद 4 मार्च से10 मार्च 2018 फोन : - 9999595632 ₹ 2

नगर निगम शहर में तमाम अवैध कब्जे छेड़े, बेशक जरूरी नहीं

हार्डवेयर चौक पर स्वयं स्वीकृत वैध निर्माण को तोड़ा!

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 27 फ़रवरी को हार्डवेयर चौक पर तोड़े गये निर्माण को देख कर तो यही लगता है कि नगर निगम अवैध कब्जों व निर्माणों को बेशक न छेड़े परन्तु अपनी विधिवत खरीदी गयी ज़मीन पर नक्शा पास करा कर बनाये गये भवन को ज़रूर ध्वस्त कर देगा, यदि उसके भ्रष्ट अधिकारियों की भूख शान्त न की गयी।

हार्डवेयर चौक के एनएच एक वाली साइड पर, किसी जमाने में चलने वाली हार्डवेयर कम्पनी को 4586 वर्ग गज ज़मीन इसके कर्मचारियों के रिहायशी मकान बनाने हेतु लीज पर दी गयी थी। पुनर्वास विभाग द्वारा लीज दी गयी इस ज़मीन को दिनांक 18.11.13 को विभाग से अलॉट करा कर दिनांक 20.11.14 को रजिस्ट्री भी हार्डवेयर कम्पनी के नाम करा ली गयी। इसके बाद इसी प्लॉट की रजिस्ट्री 9 लोग़ों के नाम हार्डवेयर कम्पनी ने 21.11.14 को करा दी।

इसी प्लॉट में से 305 वर्ग गज़ की रजिस्ट्री उक्त 9 अन्य लोग़ों में से एक पक्ष पुष्पेंद्र वर्मा व सुमन वर्मा ने सी के जैन तथा विनोद जैन के नाम 18.2.14 को करा दी। तहसीलदार द्वारा की गयी इन तमाम रजिस्ट्रियों पर बाकायदा हरियाणा सरकार

हार्डवेयर चौक पर एक ही प्लॉट में दो इमारतें : एक नगर निगम तोड़ दी गई और दूसरी को छुआ भी नहीं!

को पंजीकरण शुल्क के रूप में लाखों रुपया दिया गया।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार 55 लाख 14 हज़ार रुपये का पंजीकरण शुल्क तो पुनर्वास विभाग से हार्डवेयर कम्पनी के नाम पर आने का और 62 लाख 76 हज़ार 500 रुपये का शुल्क दिया गया उन 9 लोगों द्वारा जिन्होंने इसे अपने नाम कराया। इसके बाद 5 लाख 56 हज़ार 500 रुपये का रजिस्ट्री शुल्क दिया गया जैन बन्धुओं द्वारा। यदि रजिस्ट्रियां गलत थी तो पंजीकरण शुल्क लेकर प्लॉटों का पंजीकरण करने वाले तहसीलदार ने पंजीकरण करते वक्त क्या देखा? क्या ये तमाम खरीदारियां अवैध थीं?

विधिवत खरीदारी करने के पश्चात् जैन बन्धुओं ने अपने प्लॉट को नगर निगम के खातों में बाकायदा इनकार्पोरेट कराया दिनांक 26.8.14 को जिसका शुल्क भी निगम ने प्राप्त किया। इसके बाद नगर निगम ने जैन बंधुओं से 28892 रुपये बतौर हाउस टैक्स वसूला। इसके उपरांत 4586 वर्ग गज़ के प्लॉट के विभाजन की कार्यवाही शुरू की गयी। सभी खरीदारों ने मिल कर 7.10.14 को 10 लाख 91 हज़ार 870 रुपये की फ़ीस भर कर विभाजन की कार्यवाही पूरी कराई।

इसके बाद सबसे बड़ा काम होता है निगम से नक्शा पास कराने का जो जैन बन्धुओं ने शुरू किया 26.9.14 को और सम्पन्न हुआ 14.10.14 को, जिसके लिये निगम ने बतौर फ़ीस वसूले 46 हज़ार 259 रुपये तथा इस पर उपकर के रूप में वसूले 2443 रुपये। तमाम औपचारिकतायें पूरी हो जाने के बाद नगर निगम ने नक्शा पास करने का पत्र जारी कर दिया। इसका मतलब होता है कि अब नक्शे के मुताबिक भवन का निर्माण कर लिया जाय। जैन बंधुओं ने बेसमेंट खोदने के लिये 9260 रुपये की माइनिंग फ़ीस भी निगम को अदा की थी 13.11.14 को।

ठीक इसी वक्त राज्य में भाजपा की सरकार आ गयी और तमाम भाजपाई लकड़बग्घे सक्रिय हो उठे; कोई पत्रकार के रूप में तो कोई आरटीआई कार्यकर्ता बन कर तो कोई भावी पार्षद बन कर। इन सबने जैन बंधुओं के चक्कर लगाने शुरू कर दिये। चुग्गा-पानी नहीं मिला तो निगम अधिकारियों से मिलीभगत करके इन्हें नोटिस जारी करा दिये गये। जिनमें मुख्यत: कहा गया, 'आकर मिले।'

शेष पेज दो पर

करीब 70 दिन पूर्व इसी प्लॉट पर विधायक सीमा त्रिखा ने दिखाया था अपना जलवा

वर्तमान तोड़-फोड़ के 70 दिन पूर्व एसडीएम रीगन कुमार के नेतृत्व में जब तोड़-फ़ोड़ दस्ता इस प्लॉट पर आया था तो विधायक सीमा त्रिखा दौड़ी चली आई थी। एसडीएम, एसीपी व निगम अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से धमकाते हुए खूब ज़लील किया था, यहां तक कि एसडीएम का तो तबादला भी करा दिया गया।

लेकिन इस बार तोड़-फ़ोड़ के वक्त वे मौके पर आना तो दूर कुछ बोली तक नहीं। पूछ-पड़ताल करने पर पता लगा कि वे पहली बार भी जैन बन्धुओं की इमारत बचाने नहीं बल्कि इसी प्लॉट में पीछे बन रही रोमी भाटिया की इमारत को बचाने आई थी जिसे इस बार निगम ने छुआ तक नहीं। मामला बिल्कुल साफ़ है, जैनों और भाटियाओं के लिये निगम का कानून अलग-अलग है और विधायक की दृष्टि में भी भेद-भाव साफ़ है। इतना ही नहीं इसी प्लॉट पर इसी तरह की तीन और इमारतें भी बन रही हैं जिन्हें निगम ने छुआ तक नहीं। यही है भाजपा का राम-राज, देखो कितने दिन और चलता है।

क्यों न वीरप्पन की तरह रामदेव को भी देशद्रोही तस्कर माना जाये

गिरीश मालवीय

पतंजलि द्वारा चीन को बेशकीमती लाल चंदन की लकड़ी निर्यात करने से रामदेव बाबा का सूटबूट अब भगवा चोले के अंदर से साफ साफ दिखने लगा है। खबर सुर्खियों में है कि डीआरआई ने पतंजलि द्वारा चीन भेजी जा रही लाल चंदन की लकड़यिां जब्त कर ली हैं। डीआरआई और कस्टम डिपार्टमेंट ने लाल चंदन की लकड़यिों के साथ लकड़यिां ले जा रहे पतंजलि के प्रतिनिधि के दस्तावेज और पासपोर्ट भी जब्त कर लिए हैं।

बताया जा रहा है कि पतंजलि के पास ग्रेड-सी की चंदन की लकड़ियों के एक्सपोर्ट करने की इजाजत है. जबकि जब्त चन्दन ए और बी केटेगरी का है।

लेकिन पतंजलि के विज्ञापनो के लिए लार टपकाते हुए मीडिया ने इतना सा सवाल पूछने की जहमत नही उठाई कि बाबा रामदेव की कम्पनी जो मुख्यत: एफ़एमसीजी ओर हर्बल उत्पादों में डील कर रही है आखिर उसे चीन को चंदन एक्सपोर्ट करने में क्या रुचि हो सकती है? खुद पतंजलि स्वीकार कर रही है कि हमने आज से पहले कभी चंदन एक्सपोर्ट नहीं किया है तो इस चन्दन को विदेश भेजे जाने में पतंजलि जैसी कम्पनी की क्या रूचि हो सकती है जबकि उसकी कोई हर्बल फैक्टरी चीन में नही चल रही है ?

दरअसल कहानी शुरू होती है 2016 से जब सरकार ने अप्रत्याशित रूप से लाल चन्दन की लकड़ी को लॉग यानी लट्ठे के रूप मे निर्यात करने के नियमों में राहत देने का फैसला किया था। इस दुर्लभ किस्म की लकड़ी का इस्तेमाल औषधियों और पूजा-अर्चना में होता है और इसके निर्यात पर खासी सख्ती रहती है। दुर्लभ प्रजाति के लाल चंदन का अस्तित्व मिटने के कगार पर जा पहुंचा है। इसलिए इसे संकटापन्न वनस्पतियों में शुमार किया गया है। संकटग्रस्त प्रजातियों में व्यापार संधि के तहत संरक्षित किया गया है।

लेकिन इसके बावजूद विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा था कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकारों के माध्यम से 383.13 टन लाल चंदन की लकड़ी लट्ठे के रूप में निर्यात करने के लिए पाबंदी में ढील दी गई है। इन लकड़यिों के निर्यात के तौर तरीके को अंतिम रूप देने और प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आंध्रप्रदेश को 30 अप्रैल, 2019 तक का समय दिया गया था लेकिन उसके पहले ही रामदेव की यह खेप पकड़ी गयी।

पुलिस का शिकार बनने से पूर्व कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन का अभयारण्य आंध्र प्रदेश के जंगल ही हुआ करते थे। ये जंगल दुलर्भ और बेशकीमती लाल चंदन के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं. यह इलाका तस्करों के लिए स्वर्ग माना जाता था।

इस कारोबार के पीछे नेताओं, अधिकारियों, पुलिस और अवैध कारोबारियों का बाकायदा एक पूरा समानांतर तंत्र ही वजूद में आ गया है। पिछले साल आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के जंगलों में 20 लोगों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की कहानी ऐसी कहानी है, जिसमें धन का लालच, अस्तित्व बचाए रखने का संघर्ष और प्रशासन की बेरुखी शामिल हैं।

चंद्रबाबू नायडू द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद से ही आंध्र प्रदेश पुलिस और वन विभाग ने 'व्यापक स्तर पर' लाल चंदन की लकड़ी के तस्करों के खिलाफ धरपकड़ अभियान शुरू किया था। उनसे जब्त लाल चंदन की लकड़ी को नीलामी में बेच दिया गया और दिखाने के लिए इसी माल को पतंजलि ने सरकारी नीलामी में खरीद लिया।

लेकिन इस सारे खेल में पतंजलि जैसी बड़ी कम्पनी क्यो कूद पड़ी यह समझ के बाहर की बात है। चीन में इस लाल चंदन

शेष पेज दो पर

आठ मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस : यह है असली हरियाणा!